15.48 hrs.

Title: Discussion on the Inter-State Water Disputes (Amendment) Bill, 2001. (Not concluded).

MR. CHAIRMAN : The House will now take up item no.26. Shri Arjun Sethi.

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI ARJUN SETHI): Madam Chairman, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Inter-State Water Disputes Act, 1956, be taken into consideration."

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Madam Chairman, the hon. Minister may explain about the Bill till 4 o'clock. This Bill is a very important one relating to inter-State water disputes and so many hon. Members would like to participate in the discussion. So, we can discuss this Bill tomorrow.

MR. CHAIRMAN: But you cannot force the Minister to say more than what he wants to say.

SHRI ARJUN SETHI: As the hon. Members are aware, the Inter-State Water Disputes Act, 1956 was enacted to provide for adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers and river valleys under article 262 of the Constitution. However, a number of issues such as the time taken in setting up the Tribunals under the Act, the long time, which is generally taken by the Tribunals to adjudicate and give Awards etc. have given rise to concern and require remedial measures.

The Commission on Centre-State Relations, also known as Sarkaria Commission, in its Report, recommended amendments in the Inter-State Water Disputes Act, 1956. These recommendations, *inter alia*, pertain to the adjudication of the disputes by the Tribunals within three years, which is extendable to five years, to provide for effective implementation of their decisions and setting up of a data bank and information system at the national level for each river basin. These recommendations have been considered at length initially by the Sub-Committee of the Inter-State Council and then by its Standing Committee before being approved with certain modifications by the Inter-State Council. Accordingly, it is now proposed to amend the aforesaid Act on the above lines.

Madam, I have introduced a Bill to that effect, called the Inter-State Water Disputes (Amendment) Bill, 2001 during the Budget Session of Parliament in this House on 7th March, 2001. I have also moved a motion for consideration and passing of the Bill on 2nd July, 2001 during the current session of the Parliament. I now request hon. Members to consider the Bill and pass the same so that the problems outlined by me in the beginning of the speech could be remedied.

As I have stated here in my earlier statements, this amendment has been sought to be passed by the Parliament in order to implement the recommendations of the Sarkaria Commission as well as the Inter-State Council of the Ministry of Home Affairs. So, these are the objectives that I have. I seek your kind indulgence so that this Bill could be passed. With these words, I thank you.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, यह बिल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि सरकार जिस भावना से इस बिल को लेकर आई है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस देश के अन्दर वैसे जल राट्रीय सम्पत्ति है। हमारे देश के अन्दर तो अत्यन्त प्राचीन काल से यह परम्परा रही है कि चाहे नदियां हों, उनको माता कहकर पुकारा गया। गंगा हो तो उसको गंगा मैया कहकर सम्बोधित किया जाता है। जब भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाला व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करने के लिए जाता है तो देश की सभी नदियों को पवित्र मानकर उनके नाम का उच्चारण करके गौरव का अनुभव करता है। इसके पीछे यही भावना है कि इस देश की नदियों का जो जल है, वह जल ही हमारे लिए जीवन है, राट्र के लिए जीवन है। वह जल राट्रीय सम्पत्ति होने के नाते उस पर राट्र का अधिकार होना चाहिए। वे नदियां जो एक राज्य से निकलकर दूसरे, तीसरे राज्य तक बहकर जाती हैं और उसके बाद समुद्र में गिरती हैं तो इस प्रकार की नदियों को अन्तर्राज्यीय नदियां कहा जाता है।

इन नदियों के पानी को लेकर अक्सर हमारे देश के अन्दर कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अभी कुछ समय पहले से कावेरी विवाद हम सब के दिमागों के अन्दर छाया हुआ है। किस प्रकार से कावेरी नदी के जल को लेकर आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी, चार राज्यों के अन्दर एक प्रकार से विवाद का विषय बन गया था। बाद में माननीय प्रधान मंत्री जी के हाथ में वह मसला आया और प्रधान मंत्री जी ने अपना फैसला दिया और ट्रिब्यूनल आदि के निर्माण की प्रक्रिया चली, उसके माध्यम से कावेरी नदी का पानी सिंचाई के लिए तमिलनाडू को कितना दिया जाये, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को कितना दिया जाये और जहां से वे नदियां निकलती हैं, उस राज्य को कितना हिस्सा मिले और पड़ोस के राज्यों को कितना हिस्सा मिले, उसके बारे में फैसला किया गया, लेकिन अब तक भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल अथवा अन्यान्य मंचों के ऊपर किसी न किसी रूप में वह ममला उछलता रहता है।

इसी प्रकार से राजस्थान में जहां अधिकतर रेतीला इलाका है, पिछले तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा है, पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है। भाखड़ा का जो पानी है, उसमें हमारा भी हिस्सा है। वह गंग नहर के माध्यम से या इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से राज्य में आता है, लेकिन कई बार पंजाब में हरीके नामक स्थान पर ही उसे रोक दिया जाता है। एस.वाई.एल. का विवाद हरियाणा और पंजाब में है. इसी तरह से राजस्थान-पंजाब और हरियाणा के बीच में भी विवाद है। कई मामले ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। कई न्यायालयों के निर्णय आए हैं, लेकिन हमें जितना हिस्सा पानी का मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने इस प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए जो बिल प्रस्तुत किया, वह ठीक है। वैसे तो 1956 में यह बिल बना था। सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया, जिससे केन्द्र भी सशक्त हो और राज्य भी सशक्त हों। राज्यों और केन्द्र के बीच कैसे सम्बन्ध हों, कौन से अधिकार हों और क्या-क्या सीमाएं हों, इनके बारे में सरकारिया आयोग ने राट्र हित में अपनी रिपोर्ट दी, जिसे भारत सरकार ने भी माना।

एक राज्य से दूसरे राज्य में बहने वाली नदियां हैं, उनके बारे में भी उस आयोग ने उपयोगी सुझाव दिए। उनके आधार पर यह संशोधन बिल लाया गया है। इसमें मुख्य रूप से तीन-चार बातों की ओर ध्यान आकर्ति किया गया है। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, वह फैसला देता है तो उसके फैसले को

जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके अलावा कितना पानी गर्मियों में, सर्दियों में और बरसात में आता है, बेसिन का इलाका कौन-कौन सा है, कितने पानी को जमीन सोंखती है और कितना पानी सिंचाई के काम आता है, ये सारी सूचनाएं तैयार होनी चाहिए। इसके साथ-साथ नदियों के पानी की राट्रीय स्तर पर कितनी उपयोगिता है, इन सारी अनुशंसाओं को लेकर यह संशोधन लाया गया है।

सभापति महोदय, आज इस बिल के आने की सम्भावना नहीं थी, लेकिन यह आज आ गया है। मैंने इस पर चर्चा शुरू कर दी है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि अभी चार बजे दूसरे विाय पर चर्चा होनी है इसलिए कल भी मुझे इस बिल पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। जहां मैं इस बिल का स्वागत करता हूं वहां मैं यह भी चाहता हूं कि इस बिल पर संसद गम्भीरता से विचार करे, जिससे भविय में पैदा होने वाले इस प्रकार के विवादों से बचा जा सके और सब राज्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें।

प्रकृति ने हमें जल के रूप में जो वरदान दिया है, उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। भारत बड़ा भाग्यशाली देश है कि यहां अनेक ऐसी नदियां हैं जो साल भर बहती हैं। चाहे पहाड़ों की बर्फ पिघलने से बहती हों या वार्ा के माध्यम से बहती हों। इनसे हमारे देश की धरती को सिंचित किया जा सकता है और मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती वाली बात चरितार्थ हो सकती है।

मुझे इस बिल के माध्यम से दो-तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्ति करना है। अनेक राज्यों में इस प्रकार के विवाद हैं, जिनको दो राज्य भी मिलकर हल नहीं कर सकते। कई बार ट्रिब्यूनल भी निर्णय लेता है। ।

16.00 hrs.

लेकिन उसके निर्णयों में भी कमियां रह जाती हैं। इसलिए ट्राईब्यूनल के द्वारा विभिन्न राज्यों में बहने वाले नदियों के जल के वितरण के बारे कि इस प्रकार की व्य वस्था होनी चाहिए कि जल का वितरण समुचित रूप से हो सके, उसकी उचित देखरेख की जा सके और कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं, उसकी मशीनरी की व्यवस्था हो सके। इन सबका प्रावधान इस बिल के अंदर किया जाना चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार जिस मंशा से इस बिल को लाई है, हम उसका आदर करते हैं लेकिन जल को राट्रीय सम्पत्ति मानकर एक राट्रीय जल नीति बनानी चाहिए और इसके साथ नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में गंभीरता से सोच-विचारकर व्यवस्था करनी चाहिए कि भविय में इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो कि प्राकृतिक जल के बंटवारे को लेकर देश में रहने वाले नागरिक आपस में शत्रु बन जाएं और आपस में जल के बहाव को अवरुद्ध कर दें जिससे खेती सूख जाये। आज देश का पानी पाकिस्तान में बह जाता है। शत्रु देश में पानी बह जाये, वह ठीक है लेकिन पड़ौसी राज्य उस पानी का उपयोग करना चाहता है तो उसमें बाधा डालने की बातें की जाती हैं।

1602 ण्द्धद्म (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में सरकारिया कमीशन की सिफारिशों और उसके मार्गदर्शन के अंदर ऐसी समग्र और सर्वांगीण नीति निर्धारित की जाये जिससे भविय में ऐसी स्थिति पैदा न हो। अब चूंकि समय हो गया है, इसलिए मैं कल कंटीन्यू करूंगा, मैं इसकी आज्ञा चाहूंगा।

Mr. Speaker, Sir, I should be allowed to continue next time.

MR. SPEAKER: Yes.